हिण्डोलाखाल पयालगांव मोटर मार्ग के प्रस्ताव सं0 (FP/UK/ROAD/22231/2016) ऑन लाईन होने पर आयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण

Sl. No.	User agency againt E.D.S.	E.D.S. Reaply
1	2	3
1	Serial no. A.1-iii does not contain brief narrative	ब्रीफ नैरेटिव सीरियल नम्बर ए0–1–।।। में भर दिया गया है।
2	Please give break up of road construction and muck disposal in B-2.4 - component wise breakup	मलवा निस्तारण हेतु प्रयोग में ली गई भूमि, मलवा निस्तारण के पश्चात भी काश्तकारों के स्वामित्व में ही रहेगी इस हेतु काश्तकारों से सहमति ले ली गई है जिसे अपलोड़ किया जा रहा है। जिस कारण नाप भूमि हस्तान्तरण में सम्मिलित नहीं की गई है। जिस कारण इसका विवरण कम्पोनेन्ट वाईज ब्रेकअप में दिया जाना सम्भव नहीं है।
3	Ownership details and other files of CA patch uploaded at L(iv)f, g and h are erroneous	प्रस्ताव 1 हे0 से कम होने के कारण क्षतिपूरक वृक्षारोपण की आवश्यकता नहीं है।
4	Digital map of CA on SoI Toposheet not provided	प्रस्ताव 1 हे0 से कम होने के कारण क्षतिपूरक वृक्षारोपण की आवश्यकता नहीं है।
5	The digitized toposheet has not been uploaded in serial C-iii.	मैप अपलोड़ कर दिया गया है।
6	Please upload proper and detailed justification for the proposed project in forest area	यह मार्ग पूर्णतः वन भूमि में नहीं जा रहा है। बल्कि इस मार्ग का कुछ भाग वन भूमि में पड़ रहा है एवं जिस भाग में कही वैकल्पिक नाप/सिविल भूमि उपलब्ध नही है। उसी भाग में वन भूमि में मार्ग का संरेखण पड़ रहा है।
7	Please upload complete FRA documents along with annexures mentioned in the certificate at serial K of Form A	अपलोड़ कर दिया गया है।
8	Geo-referenced digital map of CA should be polygon mentioning at least 4 values	प्रस्ताव 1 हे0 से कम होने के कारण क्षतिपूरक वृक्षारोपण की आवश्यकता नहीं है।
9	Please upload Land schedule with name of Reserve forest and compartment	सन्दर्भित मार्ग कहीं भी आरक्षित वन भूमि में नहीं पड़ रहा है।
10	Muck disposal plan does not show calculation and legal status of muck dumping	मक डिस्पोजल प्लान पर मक डिम्पिंग ऐरिया की कैलकुलेशन दर्शाई गई है। जो खसरा नम्बर दिखााय गया है। वह नाप भूमि के है।

30/01/17

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

डिजिटल मानचित्र :– जनपद टिहरी गढ़वाल में विधानसभा देवप्रयाग के अन्तर्गत हिण्डोलाखाल पयालगांव मोटर मार्ग का बिटुला, नौथा, देवली एवं दलमासा होते हुए हिण्डोलाखाल मुल्यागांव मोटर मार्ग के निर्माण हेतु

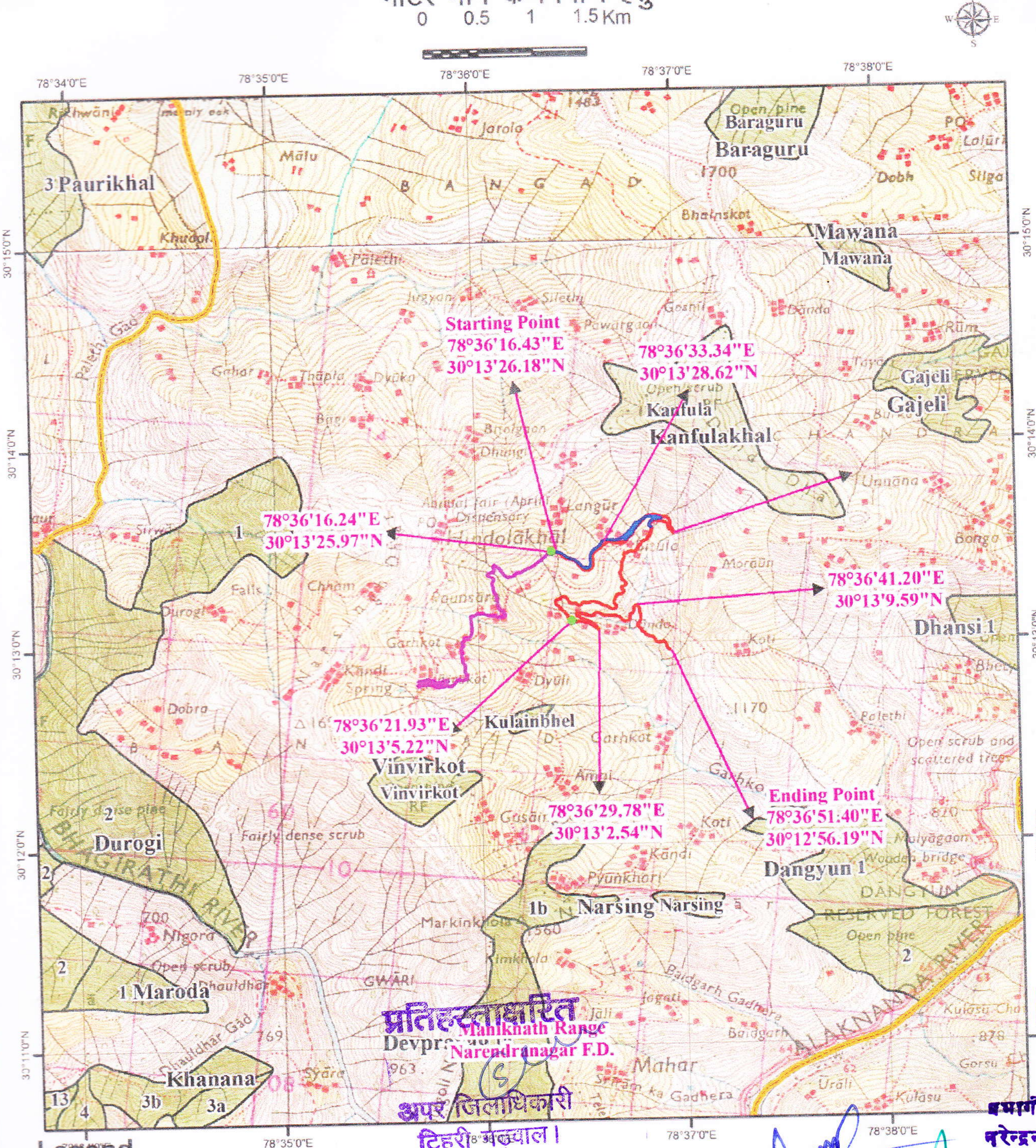

Legend
- Muck Disposal
- Proposed Road
- Existing Road
- Alternate Road
- Reserve Forest Area
- Reserve Forest Boundary
- Forest Range Boundary

प्रतिहस्ताक्षरित
अपर जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

सहायक अभियन्ता
अ०ख०, लो०नि०वि०
कीर्तिनगर (मु०–देवप्रयाग)

अधिशासी अभियन्ता
ख० लो० नि० वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर (टि० ग०)

14/07/16

राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र...हिण्डोलाखाल
तहसील देवप्रयाग
जिला–टिहरी गढ़वाल

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनि-की-रेती

तहसीलदार
देवप्रयाग, टि०ग०

उप प्रभागीय वनाधिकारी
(देवप्रयाग)
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग

वन क्षेत्राधिकारी
मणिकनाथ रेंज,
जंगचौरा

उप जिलाधिकारी
कीर्तिनगर
टिहरी गढ़वाल

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT TEHRI GARHWAL (UTTARAKHAND)

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA) 2006.

A meeting of the District Level Committee Tehri Garhwal District. Constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Shri Yugal Kishor Pant I.A.S. District Collector Tehri Garhwal at New Tehri in which the applicant claiming rights in **Kirtinagar** Block area measuring **0.711 Hectare** for the construction of **Hindolakhal Payalgoan motor road to Bitula, Notha, Devali and Dalmasa Extention up to Hindolakhal Palethi Mulyagoan Motor Road** in Tehsil **Devprayag** of forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub Division Level Committee of **Kirtinagar** Sub Division were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection/claims were found to have been made and hence District Level Committee recommended the above case for diversion for land for the said purpose.

Place :- Tehri

(इन्दुधर बौड़ाई)
जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

District Collector Cum chairman
District Tehri Garhwal
New Tehri

(58)

Annexure

प्रारूप सं0 30

FORM – I

(For linear Projects)

Government of **Uttarakhand**

Office of the District Collector **Tehri Garhwal**

No.

Dated ....

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MoEF) Government of India letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having intiated and completed the process of settelement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEFs letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.711 hact.** of forest land proposed to be deverted in favour of **Public Works Department, Kirtiangar** for **Construction of Hindolakhal Payalgoan motor road to Bitula, Notha, Devali and Dalmasa Extention up to Hindolakhal Palethi Mulyagoan Motor Road** in **Tehri Garhwal** District falls within jurisdiction of ---------- ---------------- Villages in **Devprayag** tehsils.

It is further certified that:

a) the complete process for indetification and settlement of right under it FRA has been carried out for the entire **0.711 Hac.** of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committees, Gram Sabha, Sub Division Level Committees and the District Level Committee are enclosed as annexure **23** to annexure 23.2

b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabha have given their consent to it.

c) the proposal does not invole recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities.

Encl: As above

Signature

(इन्दुधर बौड़ाई)
जिला अधिकारी
(टिहरी गढ़वाल।)
Distt. Colector

59

~~58~~

It is further certified that- Minutes of meeting of ***Hidolakhal Payalgaon Motor Road Extension up to Hidolakhal Mulyagaon Motor Road Via Bitula, Nautha, Devli & Dalmasa*** Motor Road (5 Km) regarding FRA is as following

Sl. No		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the forest rights committee(s). Gram Sabha(s) Sub-Division Level Committee is enclosed as annexure ----- to ----- annexure.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The Division of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA has been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional forest Dwellers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road as attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional forest Dwellers.

जिला पंचायत सदस्य
टिहरी गढ़वाल

सदस्य
जिला पंचायत
39 आमणी – पलेठी
(विकास खण्ड –
टिहरी गढ़वाल

जिला समाज कल्याण अधिकारी
टिहरी गढ़वाल

जिला समाज कल्याण अधिकारी
टिहरी गढ़वाल, नरेन्द्रनगर

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, टिहरी गढ़वाल
मुनि-की-रेती

(इन्दुधर बौड़ाई)
जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल

60
59

प्रारूप सं0 – 1.90

भू–अर्जन प्रमाण पत्र
ग्राम पंचायत का नाम –
तहसील देवप्रयाग, जिला टिहरी गढ़वाल

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत हिण्ड़ोलाखाल पयालगांव मोटर मार्ग का बिटुला, नौथा, देवली एवं दलमासा होते हुए हिण्ड़ोलाखाल मुल्यागांव मोटर मार्ग तक विस्तार निर्माण कार्य (लम्बाई 5.00 कि0मी0)।

स्वीकृति सन्दर्भ :– 549 / III(2) / 14–49(प्रा0आ0) / 2013 दिनांक 29.01.2014

विधान सभा देवप्रयाग के विकास खण्ड़ कीर्तिनगर के अन्तर्गत **हिण्ड़ोलाखाल पयालगांव मोटर मार्ग का बिटुला, नौथा, देवली एवं दलमासा होते हुए हिण्ड़ोलाखाल मुल्यागांव** मोटर मार्ग **5.00** कि0मी0 हेतु उपरोक्त शासनादेष द्वारा प्रषासकि एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। जिसके सापेक्ष गांव वालों की सहमति पर ही **5.225** कि0मी0 लम्बाई हेतु प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।

प्रखण्ड़ टिहरी गढ़वाल परिक्षेत्र के **हिण्ड़ोलाखाल पयालगांव मोटर मार्ग का बिटुला, नौथा, देवली एवं दलमासा होते हुए हिण्ड़ोलाखाल मुल्यागांव** मोटर मार्ग के नव निर्माण के लिये **0.00** है0 आरक्षित वन भूमि, **0.711** है0 सिविल वन भूमि, **0.00** है0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल **0.711** है0 का अस्थाई खण्ड़ लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। तथा बाकी नाप भूमि **3.9915** है0 ग्राम पंचायत **पौसाड़ा** के काष्तकारों से देना प्रस्तावित है।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित नाप भूमि को सम्बन्धित काष्तकारों से नियमानुसार सहमति से अथवा अर्जित कर प्रयोकता एजेन्सी को उपलब्ध करा दी जायेगी एवं प्रष्नगत मोटर मार्ग निर्माण बाधित नहीं होगा।

सहायक अभियन्ता
अ0 खं0 लो0 नि0 वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर।

Executive Engineer
T.D. P.W.D. Srinagar
H.Q. Kirtinagar

राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र..................
तहसील देवप्रयाग
जिला–टिहरी गढ़वाल

प्रतिहस्ताक्षरित
अपर जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल

तहसीलदार
देवप्रयाग, टि0ग0

SDM
उप जिलाधिकारी
कीर्तिनगर
टिहरी गढ़वाल

G1

प्रपत्र—23.2

परियोजना का नाम :— जनपद टिहरी गढवाल में राज्य-योजना के अन्तर्गत हिण्डोलाखाल पयालगाँव मोटर मार्ग का बिटुला, नौधा, देवली से दलमासा होते हुए हिण्डोलाखाल मुल्यागाव मोटर मार्ग तक विस्तार मोटर मार्ग हेतु वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन

कार्यालय उप जिलाधिकारी, कीर्तिनगर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण—पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, ...

उपखण्ड कीर्तिनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत हिण्डोलाखाल पयालगाँव मोटर मार्ग का बिटुला, नौधा, देवली से दलमासा होते हुए हिण्डोलाखाल मुल्यागाँव तक विस्तार (—— हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.711 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, —— हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 0.711 हे0 वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील देवप्रयाग) की दिनांक 27/7/016 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री चतर सिंह चौहान, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1— श्री चतर सिंह चौहान	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2— श्री डी.पी. वर्त्वाल	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3— श्री विनोद कुमार	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/सचिव
4— श्रीमती पार्वती देवी	बी0डी0सी0 क्षेत्र	सदस्य पार्वती देवी

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि हिण्डोलाखाल पयालगाँव मो०मार्ग का बिटुला, नौधा, देवली से दलमासा होते हुए हिण्डोलाखाल मुल्यागाँव तक विस्तार परियोजना हेतु 0.711 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

क्रमशः — 2 — पर

संबन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, उप वन प्रभाग देवप्रयाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कीर्तिनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत हिण्डोलाखाल पयालगॉव मो० मार्ग का बिठुला, नौथा देवली से दलमासाडोत हुए हिन्डोलाखाल मुयालगांव मो०मा० तक विस्तार परियोजना के निर्माण हेतु 0.711 हे0 वन भूमि लो०नि० निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

[signature]

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– देवप्रयाग
जनपद टिहरी गढ़वाल

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

[signature]

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– देवप्रयाग
जनपद टिहरी गढ़वाल

63

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य-योजना के अन्तर्गत हिण्डोलाखाल पयालगाँव मोटर-मार्ग का बिटुला, नौधा देवली से दलमासा होते हुए हिण्डोलाखाल मुल्यागाँव मोटर-मार्ग तक विस्तार मोटर मार्ग हेतु वन-भूमि का गैर-वानिकी कार्यों हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन

दिनांक 27/7/016 को उप खण्ड समिति की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
जनपद टिहरी गढ़वाल

1	श्री चतर सिंह चौहान	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष	(हस्ताक्षर) S.D.M
2	,, डी.पी. बलोनी	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य	(हस्ताक्षर)
3	विनोद कुमार डिमरी	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/सचिव	(हस्ताक्षर) सहायक समाज कल्याण अधिकारी
4	श्रीमती पार्वती देवी	बी०डी०सी० क्षेत्र	सदस्य	सदस्य क्षेत्र पंचायत-लंबोर, वि० ख० देवप्रयाग (टि० ग०) पार्वती देवी

64 ~~63~~

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत ढिंडोलाखाल पयालगाँव मोटर मार्ग का बिठुला, नौधार, देवली एवं दलमासा होते हुये ढिंडोलाखाल मुल्यागाँव मोटर मार्ग का विस्तार।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ....पौसाड़ा....

तहसील ....देवप्रयाग...., जिला ....टिहरी गढ़वाल....

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद ....टिहरी गढ़वाल.... के अन्तर्गत ....ढिंडोलाखाल पयालगाँव मोटर मार्ग का बिठुला, नौधार, देवली एवं दलमासा होते हुये ढिंडोलाखाल मुल्यागाँव मोटर मार्ग.... परियोजना के निर्माण हेतु (....—.... हे0 आरक्षित वन भूमि, ...0.711.... हे0 सिविल सोयम भूमि, ...—.... हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल ....0.711.... हे0 वन भूमि का ....लो0नि0वि0 कीर्तिनगर.... विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ....पौसाड़ा.... द्वारा दिनांक ....02-10-2015.... को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। • उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ....पौसाड़ा.... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ....लो0नि0वि0 कीर्तिनगर.... प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/– [signature]
ग्राम सचिव

ह0 Suman.
ग्राम प्रधान

नोट :– • यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

छाया प्रति सत्यापित

सहायक अभियंता
अ0ख0, लो0नि0वि0
देवप्रयाग

65

प्रपत्र—23.1

दिनांक 02.10.2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत पौंसाड़ा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	नरेन्द्र रतूड़ी	N Ratuj
2.	नरेन्द्र जोशी	[illegible]
3.	सोहनलाल रतूड़ी	[illegible]
4.	अरुण रतूड़ी	अरुण रतूड़ी
5.	खुशहाल भण्डारी	[illegible]
6.	कुशलानन्द	[illegible]
7	देवेन्द्र प्रसाद रतूड़ी	देवेन्द्र प्रसाद रतूड़ी
8.	रामकृष्ण रतूड़ी	राम कृष्ण रतूड़ी
9.	मुकेश रतूड़ी	Mratuma
10.	पुरुषोत्तम दत्त रतूड़ी	पुरुषोत्तम दत्त
11.	रविन्द्र रतूड़ी	[illegible]

छाया प्रति सत्यापित

सहायक अभियंता
अ0ख0, लो0नि0वि0
देवप्रयाग

ह0/—
ग्राम प्रधान
Suman